

13/18 पत्रावली पैरा 106 वादी व प्रतिवादी उप. 1 पत्रावली में प्रतिवादी अधि द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा किया गया एवं वादी अधि. द्वारा जवाब मौखिक रूप में दिया गया।

पत्रावली में यह बात सामने आयी, जो कि वादी अधि द्वारा वाद पत्र में एवं आप की दाहराई गई थी, उसी खसरा नं, एवं उसी खसरे के समक्ष, अति. कलेक्टर न्यायालय में 14(4) LR के तहत प्रार्थना

पत्र वाद दाखिल होने से पहले किया जा चुका है जो कि अभी तक निर्णित नहीं है।

आज वादी अधि. द्वारा बंदस में बोना गया कि अति. कले. न्यायालय में, 14(4) के वग रूप प्रार्थना पत्र है परंतु उपखण्ड न्यायालय के समक्ष यह 88, 89, 207 के तहत

174
declaration का वाद फाइल
किया गया है। यह वाद
सार्वजनिक होने योग्य है, क्योंकि

(1) ऐसा वाद तभी इस न्यायालय
में लाना उचित है जब 14(4)
के तहत कोई प्रार्थना पत्र
प्रतिवादी का अलोटमेंट साबित
करने को न लगाया गया हो
क्योंकि 88 धारा में 14(4)
पर सम्मति है।

(2) अब जब प्रार्थना पत्र दाखिल
हो चुकी गयी है तो उपरोक्त
न्यायालय का जो भी निर्णय
होगा, उससे यह वाद प्रभावित
होगा। अगर उपरोक्त न्यायालय
ने यह वाद प्रतिवादी के हक में
पानी अलोटमेंट को सही मानने
इस किया, तो यह वाद का
कार्र पुराना नहीं रह जायेगा,
और अगर वादी के हक में
हुआ तो उपरोक्त स्वसरा विचारण
सरकार की किया जायेगा
और उसपर 88 का वाद
या पूनः अलोटमेंट तभी होगा,

दृश्य या कार्यवाही मय इनिशियल्स जत

संख्या व तारीख
अहमकाम जो दुसरे
की तारीख में जारी हुए

जब सरकार द्वारा विनाश
जमीन पर कब्जे की दिनांक
वय की जायेगी । अतः
बाद स्वार्थिन किया जाता है



9/1/2017



उपसचिव (सच.)
डी.पी.ओ. (सच.)